(नियम 13)

[General Rules (civil), Rule 103, Appendix 'B', From No. 9]

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी – इन्द्राज सिंह आर.ए.एस. नवलगढ़

ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र सांवलमल गुर्जर निवासी गोरसी की ढाणी तन बारवा तहसील नवलगढ़ वगैरह	–बनाम–	सांवरमल पुत्र जीवणराम जाति गुर्जर निवासी गोरसी की ढाणी तन बारवा तहसील नवलगढ़।
किस्म मुकदमा – प्रा० पत्र अस्थाई निषेधज्ञा		मु.नं. 106 / 2020 RCMS No

आदेश	कार्यवाही विवरण	पालना के क्रमांक व दिनाक
21.09.20	आज यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया **ओमप्रकाश गुर्जर पुत्र श्री सावंलमल जाति गुर्जर निवासी गोरसी की ढाणी तन बारवा तहसील नवलगढ** की ओर से वकील **श्री हनुमान सिंह गुर्जर** ने विरूद्ध अनावेदक बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया। वकील आवेदक द्वारा प्रकरण मे निवेदन किया कि अनावेदक को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वाके ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाडी की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 10, 5 व 6 रकबा क्रमशः 1.43, 0.05 व 5.21 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.69 हैक्टर मे अपने नाम अंकित भूमि की मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति कायम रखे तथा अन्यथा मुन्तकिल नही करे, ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे ना ही नौकर रिश्तेदार ऐजेन्ट आदि से करवाये तथा अन्य सिद्धि जो चाही जाने से रह गयी हो और प्रार्थीगण के हक मे ही दिलावाई जावे। प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो एवं संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करते हुये आवेदक वकील को मौखिक तौर पर सुना गया। प्रथम दृष्टया आवेदक वकील का उक्त कथन उचीत प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थी को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी तारीख पेशी तक विवादग्रस्त भूमि वाके ग्राम बारवा पटवार हल्का मोहनवाडी की सरहद मे भूमि खसरा नम्बर 10, 5 व 6 रकबा क्रमशः 1.43, 0.05 व 5.21 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.69 हैक्टर मे वादीगण के नोशनल हिस्से तक अप्रार्थी मोके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगे। तहसीलदार नवलगढ को पालना हेतु तहरीर जारी हो। उक्त आदेश की पालना हेतु तहसीलदार नवलगढ को तहरीर जारी हो। अनावेदकगण की तलबी आवेदक के खर्चे पर जरिये रजिस्टर्ड डाक जारी हो। इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करे। उक्त आदेश किसी भी न्यायालय के किसी भी आदेश की पालना में बाधक नही होगा। पत्रावली वास्ते तलबी दिनाक 14.10.2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 21/9/20 (इन्द्राज सिंह) उपखण्ड अधिकारी नवलगढ	
5/10/20	प्रार्थी द्वारा शपथ पत्र मय तलबी का पेश होने पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। प्रार्थी द्वारा प्रा० पत्र पेश कर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं प्रकरण दावा भी खारिज हो चुका है दावा खारिज होने से प्रा० पत्र अ० निषे० का चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश दिनांक 21.9.20 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा भी	

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

गिरफ्त किया जाता है। पत्रावली कैफियत
शुमार होकर पेशी नम्बर से कम हो तथा
बाद तकमील आपता दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner